# समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर शिविर भोपाल

(82)

F-30-7-15 निगरानी 2157-PBR-15 पुनरीक्षण कमांक– /15

शमीउल हसन पुत्र शमशूल हसन
निवासी–किला आष्टा, जिला–सीहोर म0प्र0 .......................... आवेदक

विरूद्ध

तनवीर पुत्री आलाउल हसन
निवासी–आष्टा, जिला–सीहोर म0प्र0 .......................... अनावेदिका

## पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959

महोदय,

आवेदक राजस्व निरीक्षक आष्टा द्वारा प्रकरण कमांक 6/अ–12/2014–15 में की गयी सीमांकन कार्यवाही में पारित आदेश दिनांक–13/04/2015 के विरूद्ध यह पुनरीक्षण जानकारी दिनांक से समय अवधि में प्रस्तुत कर रहा है ।

//तथ्य//

श्री रमेश सक्सेना अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 2.7.15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा सीमांकन कार्यवाही बिना उदघोषणा एवं मेड पड़ोसीयों को व्यक्तिगत सूचना दिये 12/04/2015 को सीमांकन कार्यवाही करते हुये आवेदक का अवैध कब्जा भूमि खसरा कमांक 114/2/क रकबा 0.640 हेक्टेयर पर दर्शाते हुये प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण समाप्त कर दिया गया जिसके आधार पर अनावेदिका द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार आष्टा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया । उक्त प्रकरण में पेशी दिनांक–4/6/2015 को नोटिस आवेदक को दिनांक 25/05/2015 को प्राप्त होने पर उसके द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा प्रमाणित प्रतिलिपि एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त होने पर यह पुनरीक्षण समय अवधि में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

2.7.15

4.7.15

//वैधानिक आधार//

1. यह कि अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 129 में विहित प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2157-PBR/16 जिला - सीहोर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 28-8-2019 | प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील आष्टा जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-04-2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील आष्टा जिला सीहोर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, सीहोर को भेजा जाता है ।<br><br>कलेक्टर, सीहोर प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 14-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों ।<br><br>अध्यक्ष | |